

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1
संख्या-2215/9-1-2016-51टी./12
लखनऊ : दिनांक 25 नवम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2, सन् 1916) की धारा 3 के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद-243-थ के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, जिस अधिसूचना को जारी करने का प्रस्ताव करत है, उसका निम्नलिखित प्रारूप, उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा-(1) की अपेक्षानुसार जनसामान्य की सूचना के लिए और उसके संबंध में आपत्तियां या सुझाव आमन्त्रित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2. प्रस्तावित अधिसूचना के संबंध में आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग-1, बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित करके लिखित रूप में प्रेषित किये जाने चाहिए। केवल उन्ही आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर प्राप्त होंगे।


अधिसूचना का प्रारूप

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2, सन् 1916) की धारा 3 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243-थ के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए जनित राजस्व, कृष्येतर कार्यकलापों में नियोजन के प्रतिशत और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित करते हैं कि स्थानीय क्षेत्र, जिसकी सीमा नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, भारत का संविधान के भाग नौ-क के प्रयोजनार्थ संकमणशील क्षेत्र होगा और उक्त संकमणशील क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत का गठन किया जायेगा, जिसे नगर पंचायत कपिलवस्तु जिला-सिद्धार्थनगर के रूप में जाना जायेगा।

अनुसूची

क.सं.	दिशा	सम्मिलित ग्राम एवं गाटा संख्या
1	उत्तर	बर्डपुर नं०-09-40, 41, 85, 116, 117, 1187, 1208, 1243, 1317, 1289, 1200, 1314, 1313, 1312, 1291, 1309, 1308, 1307, 1306, 1297, 1296, 1295, 1294, 1293, 1292, 1353. पकड़िहवा-1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 23, 24, 22, 37, 38, 41, 53, 48, 42, 51, 52, 58, 61, 60, 59.
2	दक्षिण	बर्डपुर नं०-12(आंशिक)-2295, 2302, 2309, 2359. बर्डपुर नं०-10(आंशिक)-597, 676. उँजी-99, 104, 108, 109, 110, 111, 112, 118, 117.
3	पूरब	पकड़िहवा-62, 63, 64, 66, 68, 70, 74, 73 75, 196, 199, 200, 201, 202, 203. कलवारी-62, 63, 77, 78, 113, 114, 126. उँजी-39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 113, 114.
4	पश्चिम	बर्डपुर नं०-09-1, 14, 15, 16, 17, 18, 34, 37. बर्डपुर नं०-08- 1, 10, 11, 12, 43, 48, .. 49, 66, 67, 68, 69, 71, 74,

	235, 237, 259, 1971, 1974, 1918, 1981, 1982, 1984, 1987, 1988, 1989, 2001, 2002, 2003, 2004, 1997, 2006, 2007, 2105, 2279, 2278, 2280, 2281, 2282, 2283, 2512, 2513, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2588, 2589, 2590, 2591. बर्डपुर नं0-12(आंशिक)-1834 (नहर).
--	--


18/11/2016
(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या-2215 (1)/9-1-2016 तददिनांक

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना का एक अंग्रेजी प्रारूप सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को दिनांक 25 नवम्बर, 2016 के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर उसकी 50-50प्रतियां शासन को प्रेषित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,


(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

संख्या-2215 (2)/9.1.2016 तददिनांक

प्रतिलिपि उक्त अधिसूचना की एक अंग्रेजी प्रारूप सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- (1) आयुक्त बस्ती मण्डल बस्ती।
- ✓ (2) जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को एक स्थानीय समाचार पत्र और राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- (3) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- (4) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, लखनऊ।
- (5) निदेशक, जनगणना निदेशालय, भारत सरकार, अलीगंज, लखनऊ।
- (6) निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
- (7) निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0 लखनऊ।
- (8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव।